संख्या- 29 /2026 / 113 /चार-2026 - 1688649

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2026**

विषय:- प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 महाविद्यालयों को द्वितीय किश्त तथा 36 महाविद्यालयों को तृतीय किश्त प्रदान किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-1594/भा0सं0वि0वि0-5(14)/2023, दिनांक 09 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-1992/चार-2023, दिनांक 16 जून, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रों के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि के अन्तर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में कल्चरल क्लब मद से प्रदान की गई क्रमशः धनराशि प्रथम किश्त रू0 50,000/- व द्वितीय किश्त रू0 30,000/- का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले महाविद्यालयों को क्रमशः द्वितीय व तृतीय किश्त रू0 30,000/- मात्र धनराशि अवमुक्त किया जाना है।

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित **20 महाविद्यालय को द्वितीय किश्त (रू0 30,000/-) अवमुक्त किया जाना है:-**

क0	महाविद्यालयों के नाम	परिक्षेत्र	धनराशि
1	प्राचार्य, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद	आगरा	30,000.00
2	प्राचार्य रामजी सहाय पी. जी. कालेज, रुद्रपुर, देवरिया	गोरखपुर	30,000.00
3	प्राचार्य, ब्रहामावर्त पी० जी० कालेज, मंधना, कानुपर	कानपुर	30,000.00
4	प्राचार्य, कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कालेज, राम नगर, आलमबाग, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
5	राम नगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर, बाराबंकी	लखनऊ	30,000.00
6	प्राचार्य महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई	लखनऊ	30,000.00
7	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय गोसाइखेड़ा, उन्नाव	लखनऊ	30,000.00
8	प्राचार्य, भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, महराजगंज	लखनऊ	30,000.00
9	प्राचार्य, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
10	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उन्नाव	लखनऊ	30,000.00
11	प्राचार्य, शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कालेज, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
12	प्राचार्य, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
13	प्राचार्य, अवध गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	प्राचार्य, पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
15	प्राचार्य, महारानी बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
16	प्राचार्य, विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
17	प्राचार्य, खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कालेज, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
18	प्राचार्य, आचार्य नरेन्द्र देव किसान सनातकोत्तर महाविद्यालय, गोण्डा	लखनऊ	30,000.00
19	प्राचार्य, पं० रामलखन शुक्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आलापुर, अम्बेडकरनगर	लखनऊ	30,000.00
20	राजकीय महाविद्यालय जक्खिनी, वाराणसी	वाराणसी	30,000.00
		योग रू0-	**6,00,000.00**

(2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित **36 महाविद्यालय को तृतीय किश्त (रू0 30,000/-) अवमुक्त किया जाना है:-**

क्र0	महाविद्यालयों के नाम	परिक्षेत्र	धनराशि
1	प्राचार्या, माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, ऑवलखेड़ा, आगरा।	आगरा	30,000.00
2	प्राचार्य, आर.एस. एम. कॉलेज, धामपुर, बिजनौर	बरेली	30,000.00
3	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सेहमों, बस्ती	गोरखपुर	30,000.00
4	प्राचार्या, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाँदा	झाँसी	30,000.00
5	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मानिकपुर, चित्रकूट	झाँसी	30,000.00
6	प्राचार्या, आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाँसी	झाँसी	30,000.00
7	प्राचार्या, रामसहाय राजकीय महाविद्यालय, शिवराजपुर, कानपुर नगर	कानपुर	30,000.00
8	प्राचार्या, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
9	प्राचार्य, दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीतापुर	लखनऊ	30,000.00
10	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुसाफिरखाना, अमेठी।	लखनऊ	30,000.00
11	प्राचार्य महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
12	प्राचार्या, फखरूद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर।	लखनऊ	30,000.00
13	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, टोडरपुर, हरदोई।	लखनऊ	30,000.00
14	प्राचार्य, डॉ० भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली।	लखनऊ	30,000.00
15	प्राचार्या, संत कवि बाबा वैजनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरख, बाराबंकी।	लखनऊ	30,000.00
16	प्राचार्य, महामाया राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ	लखनऊ	30,000.00
17	प्राचार्य, नेशनल पी०जी० कॉलेज, लखनऊ।	लखनऊ	30,000.00
18	प्राचार्या, ए०पी०सेन मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज, लखनऊ।	लखनऊ	30,000.00
19	प्राचार्य, एम०एल०के० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलरामपुर।	लखनऊ	30,000.00

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	प्राचार्या, आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई।	लखनऊ	30,000.00
21	प्राचार्य, इन्दिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव	लखनऊ	30,000.00
22	प्राचार्य, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ।	मेरठ	30,000.00
23	प्राचार्यों, राजकीय महिला महाविद्यालय, खरखौदा, मेरठ	मेरठ	30,000.00
24	प्राचार्य, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।	मेरठ	30,000.00
25	प्राचार्य, राजकीय मॉडल डिग्री कॉलिज, कपूरी गोविन्दपुरी, सहारनपुर।	मेरठ	30,000.00
26	प्राचार्य, रघुनाथ गर्ल्स पी.जी. कालेज, मेरठ।	मेरठ	30,000.00
27	प्राचार्य, मुन्नालाल एण्ड जयनारायण खेमका गर्ल्स कालेज, सहारनपुर।	मेरठ	30,000.00
28	प्राचार्य, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर।	प्रयागराज	30,000.00
29	प्राचार्य म० मो० मा० महाविद्यालय, कालाकाँकर, प्रतापगढ़	प्रयागराज	30,000.00
30	प्राचार्य, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर।	वाराणसी	30,000.00
31	प्राचार्य, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र।	वाराणसी	30,000.00
32	प्राचार्य, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर	वाराणसी	30,000.00
33	प्राचार्य, गया प्रसाद स्मारक राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़	वाराणसी	30,000.00
34	प्राचार्य, उदय प्रताप कालेज, वाराणसी।	वाराणसी	30,000.00
35	प्राचार्य, राष्ट्रीय पी०जी० कालेज, जमुहाई, जौनपुर	वाराणसी	30,000.00
36	प्राचार्य, डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आजमगढ़।	वाराणसी	30,000.00
		योग रू0-	**10,80,000.00**

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 महाविद्यालयों को द्वितीय किश्त तथा 36 महाविद्यालयों को तृतीय किश्त प्रदान किये जाने हेतु **रू0 16.80 लाख (रूपये सोलह लाख अस्सी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना के संबंध में शासनादेश संख्या- 1992/चार-2023 दिनांक 16 जून, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 656-चार-2024- 1688649 दिनांक 27 फरवरी, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) उपरोक्त धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, इसका व्यय अन्य मदों पर कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था- योजना की नोडल संस्था भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/ पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-16-कल्चरल क्लब की स्थापना- 42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 29 /2026 / 113 (1) /चार-2026- 1688649 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in